भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *355

जिसका उत्तर 12.12.2019 को दिया जाना है

मध्यस्थता संबंधी दावे

*355. श्री सय्यद ईम्त्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेष रूप से सड़क निर्माण क्षेत्र/सड़क परियोजनाओं में सम्मिलित राजमार्ग निर्माताओं (हाइवे बिल्डर्स) और रियायत पाने वालों के बड़ी संख्या में मध्यस्थता मामले चल रहे हैं जिसमें भारी धनराशि का दावा किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ मामलों में दावे की राशि बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार हल किए गए ऐसे मामलों की तथा लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा मध्यस्थता दावे के रूप में डेवलपरों द्वारा कुल कितनी धनराशि का दावा किया गया है; और

(ङ) ऐसे मामलों को कम से कम करने तथा खर्च बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

'मध्यस्थता संबंधी दावे' के संबंध में श्री सय्यद ईम्त्याज ज़लील और श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा दिनांक 12.12.2019 को पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या *355 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): 318 मध्यस्थता संबधी मामलें चल रहे हैं जिसमें लगभग 78,653.00 करोड़ रु. की राशि का दावा किया गया है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां ठेकेदार/रियायतग्राही ने कुल परियोजना लागत से भी अधिक राशि का दावा किया है। मध्यस्थता के आह्वान के मुख्य कारण हैं: भूमि सौंपने में विलंब के लिए मुआवजा, कार्य-व्याप्ति में बदलाव की वजह से नुकसान, परियोजना में विस्तारित स्थगन की वजह से हुए नुकसान, अनुदान/वार्षिकी भुगतान के वितरण में विलंब, कानून में बदलाव, ऋणदाताओं को दिया गया अतिरिक्त ब्याज, विलंबित भुगतान पर ब्याज, परियोजना उपलब्धियां प्राप्त न करना इत्यादि। 694 मध्यस्थता संबधी मामलें में अवार्ड प्रकाशित किया गया, जिसमें से 293 का अब तक निपटान कर लिया गया है।

(ड.): सरकार ने समाधान निकाला है कि जहां पर परियोजना के लिए 80% भूमि सभी विहंगलमों से मुक्त नहीं होती है वहां कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समझौता समिति का गठन किया गया है जो मध्यस्थता संबधी मामलों से बचने के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था है।

*****